07/4/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उक्त फल अनु
दावा स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध निर्णय शामिल
किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।
निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2021/114

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

मूल प्रकरण सं. 111 दायर दिनांक : 26.05.2017
रेस्टोर प्रकरण सं. : 103 दायर दिनांक : 23.06.2021
GCMS:- 2021/114

भादरराम पुत्र हरीराम जाति स्वामी निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर –वादी

बनाम

1. लिछमणदास पुत्र अर्जुनदास जाति स्वामी निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़
2. कुम्भाराम पुत्र पूर्णाराम जाति पूनिया जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादी की ओर से
2. पैरोकार राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 07.04.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक वादी व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 226/4 में 25.00 बीघा भूमि सम्वत् 2042 से टी.सी. आवंटन होकर प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही थी जिसे पत्रावली सं. 781/07 से दिनांक 07.06.2006 को पुख्ता आवंटन किया गया जो उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर होने से तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पत्रावली सं. 516/2008 से दिनांक 30.07.2008 को उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार जारी किये गये। उक्त रकबा पर वादी का आवंटन से लेकर आज तक लगातार कब्जा काश्त है। उक्त रकबा 10 बीघा व 15 बीघा, दो टुकड़ों में है। 10 बीघा रकबा के पूर्व में हरिराम, पश्चिम में लिछमणदास, उत्तर में वन विभाग व दक्षिण में हनुमान मेघवाल का कब्जा काश्त है एवं 15 बीघा रकबा के पूर्व व उत्तर में वन विभाग, पश्चिम में ताराचन्द स्वामी व दक्षिण में जगदीश मेघवाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:35 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

का रकबा है। बाद तरमीम खसरा नं. 226/4 से खसरा नं. 268/226 में 3.795 है0 व खसरा नं. 269/226 में 2.530 है0 रकबा वादी के नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादी सं. 1 भी खसरा नं. 226/4 का खातेदार कृषक है, उसका वादी के खसरा नं. 269/226 के 10 बीघा रकबा के पश्चिम दिशा में उसका कब्जा काश्त है। दोनों की भूमि की सींव अलग–अलग है, परन्तु वादी का रकबा प्रतिवादी के रकबा से ज्यादा सुधारा हुआ है। इसी कारण से प्रतिवादी सं. 1 वादी की भूमि में घुसने पर उतारू है। प्रतिवादी सं. 2 खसरा नं. 226/4 के रकबा राज पर कब्जा करने की आड़ में अपने आपको इस खसरा का टी.सी. आवंटी बता रहा है और अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है, जबकि प्रतिवादी सं. 2 का ना तो राजस्व रिकॉर्ड में इस खसरा में कोई रकबा दर्ज है और न ही वादी की भूमि के चिपता या दूर कहीं पर कोई कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं. 2 जबरन वादी की भूमि में घुसना चाहता है। वादी ने अपने रकबा के चारों तरफ कंटीली तारों से व कंटीली झाड़ियों की बाड़ की सींव बना रखी है व वादी ने इस खसरा से नजदीक के खसरा नं. 217 के अपने खातेदारी रकबा में मौका पर ट्यूबवैल लगा रखा है जिससे पाईप लाईन के माध्यम से मीठे पानी से अपनी 25.00 बीघा खातेदारी भूमि के दोनों टुकड़ों में पानी लगाता है, जिससे दोनों फसलें अपनी भूमि में बिजान्त करता है तथा अपने परिवार का पालन पोषण भूमि की उपज से करता आ रहा है। दिनांक 15.05.2017 को जब वादी अपनी खातेदारी भूमि में काश्त की हुई फसल की सार–संभाल कर रहा था तो प्रतिवादीगण व तीन चार अन्य लोग वादी की भूमि की सींव पर आये और वादी को धमकी दी कि इस खसरा में प्रतिवादीगण का भी रकबा पड़ता है, वो भी इस रकबा पर कब्जा करेंगे। प्रतिवादी सं. 2 तो सरेआम कह रहा है कि उसका इस खसरा में एक बार कब्जा हो गया तो पुराने पट्टे के आधार पर रकबा राज भूमि को अपने नाम करवा लेगा। 10 बीघा भूमि पर से वादी अपना कब्जा हटा लेवे। प्रतिवादी सं. 2 ने वादी की भूमि को पलटने के लिए 2–3 ट्रेक्टर मंगा रखे थे। वे वादी की [illegible] फसल को [illegible] करने की धमकियां दे रहे थे। प्रतिवादीगण मौका मिलते ही वादी की भूमि पर कब्जा करने की धमकी दे रहे थे, इसलिए वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादी के नाम की सही सरदारपुरा खर्था के

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:49:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खसरा नं. 226/4 की 6.325 है0 से तरमीम खसरा नं. 268/226 की 3.795 है0 व खसरा नं. 269/226 की 2.530 है0 खातेदारी वादी के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण को ना तो दखलन्दाजी स्वयं करने व ना ही किसी अन्य से करवाने व वादी के खातेदारी रकबा पर वादी की बनाई हुई सींव को नहीं हटाने हेतु एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 226/4 के रकबा के रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तलबी के अभाव में दिनांक 24.12.2019 को पत्रावली खारिजी के आदेश पारित किये गये, जिसके विरुद्ध वादी ने रेस्टोरेशन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 26.02.2021 को स्वीकार कर न्यायालय के आदेश दिनांक 24.12.2019 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 21.07.2022 प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 3 स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब स्टेट बन्द किये जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि वादी रोही सरदारपुरा खर्था की ख.नं. 226/6 की 6.325 है0 बारानी भूमि का अंकित खातेदार है ? (वादी)
2. आया कि रोही सरदारपुरा खर्था की ख.नं. 226/4 में 6.325 है0 बारानी खातेदारी, ख.नं. 266/226 में 3.795 है0 व ख.नं. 269/226 में 2.530 है0 राजस्व नक्शा में तरमीमशुदा है, जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है? (वादी)
3. आया वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी अपने खातेदारी एवं राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी व नक्शा में अंकित कब्जा काश्त वाली भूमि में ना तो किसी तरह की दखलंदाजी स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करवावें, वादी के खातेदारी रकबा पर बनाई हुई सींव को नहीं हटावें, के आदेश की चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? (वादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:35 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

4. अनुतोष।

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य में वादी ने स्वयं व पुत्र हंसराज पुत्र भादरराम, रोही सरदारपुरा खर्था के काश्तकारान प्रतिवादी सं. 2 कुम्भाराम पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था व हेतराम पुत्र भंवरलाल जाति स्वामी निवासीयान सरदारपुरा खर्था के बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किये, जिस पर जिरह प्रतिवादीगण शून्य रही। वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता, इसलिए साक्ष्य वादी बन्द किये गये। बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के नाम से रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 226/4 में 25.00 बीघा भूमि सम्वत् 2042 से टी.सी. आवंटन होकर प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही थी, जो वाद में पुख्ता आवंटन हुई एवं तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा खातेदारी अधिकार जारी किये गये। उक्त रकबा 10 बीघा व 15 बीघा, दो टुकड़ों में है। बाद तरमीम खसरा नं. 226/4 से खसरा नं. 268/226 में 3.795 है0 व खसरा नं. 269/226 में 2.530 है0 रकबा वादी के नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादी सं. 1 भी खसरा नं. 226/4 का खातेदार कृषक है, उसका वादी के खसरा नं. 269/226 के 10 बीघा रकबा के पश्चिम दिशा में उसका कब्जा काश्त है। दोनों की भूमि की सींव अलग–अलग है। वादी का रकबा प्रतिवादी के रकबा से ज्यादा उपजाऊ होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 वादी के रकबा में जबरन घुसना चाहता है। प्रतिवादी सं. 2 खसरा नं. 226/4 के रकबा राज पर कब्जा करने की नीयत से अपने आपको इस खसरा का टी.सी. आवंटी बताकर वादी के रकबा में जबरन घुसना चाहता है, जबकि प्रतिवादी सं. 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इस खसरा में कोई रकबा दर्ज नहीं है और न ही वादी की भूमि के चिपते या दूर कहीं पर कोई कब्जा काश्त है। दिनांक 15.05.2017 को प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 अपने साथ तीन–चार व्यक्तियों को लेकर वादी की भूमि की सींव पर आये और वादी के रकबा को अपना रकबा बताते हुए, वादी को अपनी 10 बीघा भूमि पर से अपना कब्जा हटाने की धमकी दी, वे वादी की खड़ी फसल को नष्ट करने की धमकियां दे रहे थे, इसलिए वादी के नाम

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अंकित खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि वाके रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 226/4 की 6.325 है0 से तरमीम खसरा नं. 268/226 की 3.795 है0 व खसरा नं. 269/226 की 2.530 है0 बारानी भूमि में प्रतिवादीगण को ना तो स्वयं दखलन्दाजी करने व ना ही किसी अन्य से करवाने एवं वादी के खातेदारी रकबा पर वादी की बनाई हुई सींव को नहीं हटाने हेतु तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 226/4 के रकबा के रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। स्टेट की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

बहस का श्रवण करने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :

तनकी नं. 1 – <u>आया कि वादी रोही सरदारपुरा खर्था की ख.नं. 226/4 की 6.325 है0 बारानी भूमि का अंकित खातेदार है ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए रोही सरदारपुरा खर्था की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं. 68/01 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की, जिसमें वादी खसरा नं. 226/4 की 6.325 है0 बारानी भूमि का खातेदार अंकित है, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य है। साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ–पत्रों के माध्यम से भी इस तनकी को सिद्ध किया है। वादी ने इस तनकी को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। तनकी नं. 1 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 2 – <u>आया कि रोही सरदारपुरा खर्था की ख.नं. 226/4 में 6.325 है0 बारानी खातेदारी, ख.नं. 268/226 में 3.795 है0 व ख.नं. 269/226 में 2.530 है0 राजस्व नक्शा में तरमीमशुदा है, जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 268/226 व 269/226 का सत्यापित आंशिक [illegible] नक्शा प्रस्तुत किया है, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य है। साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ–पत्रों के माध्यम से भी इस तनकी को सिद्ध किया है। वादी ने इस तनकी को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। तनकी नं. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:35 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं. 3 – आया वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी अपने खातेदारी एवं राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी व नक्शा में अंकित कब्जा काश्त वाली भूमि में ना तो किसी तरह की दखलंदाजी स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करवावें, वादी के खातेदारी रकबा पर बनाई हुई सींव को ना हटावें, के आशय की चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 व 2 से है, जो बहक वादी निर्णय की जा चुकी है, जिसके अनुसार वादी जैरवाद रकबा का अंकित खातेदार है व लगातार कब्जा काश्त में चला आ रहा है। अंकित खातेदार को अपने रकबा व हितों की पूर्ण सुरक्षा के लिए चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। तनकी नं. 3 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 1 से 3 बहक वादी निर्णय की जा चुकी है। वादी ने वाद को पूरी तरह से सिद्ध किया है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने शपथ–पत्र में जैरवाद रकबा पर वादी का लगातार कब्जा काश्त और अपनी ओर से दी गई झूठी धमकी को स्वीकार किया है। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद निर्णय किये जाने की प्रार्थना की है। वाद वादी स्वीकार किये जाने से राज्य सरकार हित भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वाद पूर्ण रूप से सिद्ध है, इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के नाम अंकित रोही सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 226/4 की 6.325 है0 से तरमीम खसरा नं. 268/226 की 3.795 है0 व खसरा नं. 269/226 की 2.530 है0 बारानी खातेदारी वादी के कब्जा काश्त की भूमि में किसी तरह की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें एवं रकबा पर वादी की बनाई हुई सींव को किसी भी तरह से हटाने का प्रयास ना करें। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब नियमानुसार शामिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:35 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 07.04.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.**

अनवान :–

भादरराम पुत्र हरीराम जाति स्वामी निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादी

बनाम

1. **लिछमणदास पुत्र अर्जुनदास जाति स्वामी निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़**
2. **कुम्भाराम पुत्र पूर्णाराम जाति पूनिया जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़**
3. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 103 वर्ष 2021 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री राकेश कुमार मनचन्दा एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के नाम अंकित रोही सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 226/4 की 6.325 है0 से तरमीम खसरा नं. 268/226 की 3.795 है0 व खसरा नं. 269/226 की 2.530 है0 बारानी खातेदारी वादी के कब्जा काश्त की भूमि में किसी तरह की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें एवं रकबा पर वादी की बनाई हुई सींव को किसी भी तरह से हटाने का प्रयास ना करें।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.04.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:35 IST
Reason: SelfAttested